



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



वन विभाग
Uttarakhand Forest Department

पत्रांक- 1444 /12-1 दिनांक: 24 जनवरी, 2024
रोवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक के ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/37890/2018).

संदर्भ :-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय, कार्यालय देहरादून में आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय समन्वय (FRCM) की बैठक दिनांक 31.07.2023।

गहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार में आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय समन्वय (FRCM) की बैठक दिनांक 31.07.2023 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्नानुसार है :-

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना है, उन ग्रामों के पास दिखने वाला मार्ग पी.एम.जी.एस. वार्ड, लो0नि0वि0, काठगोदाम, जिला-नैनीताल द्वारा निर्मित मोटर मार्ग (मोरनौला भीड़ापानी मोटर मार्ग के किमी0 8 से थली तक मोटर मार्ग) निर्मित है। इस मार्ग से दो घोड़िया ग्राम नहीं जुड़ा हुआ है। यदि उक्त निर्मित मोटर मार्ग से इस ग्राम को जोड़ा जाता है तो उस मार्ग की लम्बाई लगभग 4.0 किमी0 आयेगी। यह मार्ग को दो घोड़िया तक ले जाने में लगभग 7 हेयर पिन बैंड आयेगे, जिस कारण अत्यधिक मात्रा में वांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे।

अतः वन संरक्षक के अनुरोध के दृष्टिगत विषयोंकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या-1444 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को उनके पत्र संख्या-803/12-1 दिनांक 03-01-2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9/c

कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(दूरभाष/फैक्स सं०-05942-235452 e-mail:- cf_skumaon@rediffmail.com)

पत्रांक:- 803/12-1 दिनांक: नैनीताल, 03 जनवरी, 2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय- जनपद -अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या 37890/2018.

संदर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक-3407/12-1 दिनांक 27.12.2023.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में दिनांक 31.07.2023 को एफ०आर०सी०एम० की बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो कि निम्न प्रकार है-

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना है, उन ग्रामों के पास दिखने वाला मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०,काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा निर्मित मोटर मार्ग (मौरनौला भीड़ापानी मोटर मार्ग के कि०मी० 8 से थली तक मोटर मार्ग) निर्मित है। इस मार्ग से दो घोड़िया ग्राम नहीं जुड़ा हुआ है। यदि उक्त निर्मित मोटर मार्ग से इस ग्राम को जोड़ा जाता है तो उस मार्ग की लम्बाई लगभग 4.0 किमी० आयेगी। यह मार्ग को दो घोड़िया तक ले जाने में लगभग 7 हेयर पिन बैंड आयेंगे, जिस कारण अत्यधिक मात्रा में बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे।

अतः उक्त प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

भवदीय,

सां०आ० (प्रभारी अल्मोड़ा)

आ० का० करं।

(टी०आर० बीजू लाल)

वन संरक्षक,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

देहरादून: 2894
पंजी० सं०.....
पत्रावली 12-1
दिनांक 11-1-24

4

37890/12-1/नौ
9-1-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital@gmail.com

Telefax. 05942-236790

पत्रांक:- 3407 / 12-1

दिनांक 24/12/2023

सेवा में,

कार्यालय दक्षिणी कुमाऊँ वृक्ष उत्तराखण्ड

नैनीताल।

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृक्ष,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्रावली सं० ...12-1...
प्राप्ति सं० ...29.51...
दिनांक ...22.12.2023

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या 37890/2018)

संदर्भ :-

अधिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 3071/7सी० दिनांक 14.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में दिनांक 31.07.2023 को एफ०आर०सी०एम० की बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो कि निम्न प्रकार है-

प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि "उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना है, उन ग्रामों के पास दिखने वाला मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०, काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा निर्मित मोटर मार्ग (मौरनौला भीड़पानी मोटर मार्ग के कि०मी० 8 से थली तक मोटर मार्ग) निर्मित है। इस मार्ग से दो घोड़िया ग्राम नहीं जुड़ा हुआ है। यदि उक्त निर्मित मोटर मार्ग से इस ग्राम को जोड़ा जाता है तो उस मार्ग की लम्बाई लगभग 4.0 कि०मी० आयेगी। यह मार्ग को दो घोड़िया तक ले जाने में लगभग 7 हेयर पिन बैंड आयेगे, जिस कारण अत्यधिक मात्रा में बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे।"

अतः उक्त प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक

/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल